विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

आजीविका हेतु नवाचार का सुदृढ़ीकरण स्तरोन्नयन और पोषण (सुनील) योजना के तहत परियोजना प्रस्ताव आमंत्रण

वेबसाइट: https://dst.gov.in/seed-home

आवेदन की अंतिम तिथि: 06 फ़रवरी 2023, (Extended upto 21st Feb. 2023)

इलेक्ट्रॉनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस) पोर्टल (https://onlinedst.gov.in/) के माध्यम से समानता, सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान (सीड) प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के आजीविका हेतु नवाचार का सुदृढ़ीकरण स्तरोन्नयन और पोषण (सुनील) योजना के तहत सहायता पर विचारार्थ परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सुनील योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु प्रौद्योगिकी वितरण और सामाजिक उद्यम निर्माण मॉडल को सहायित करना है, जिसमें सामुदायिक स्तर पर एसएंडटी आधारित परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थानीय और सर्वांगीण उत्पाद/सेवा की पहचान करने के लिए आवश्यकता-आधारित और क्रिया अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी की आरक्षण योजना के तहत शामिल नहीं हैं और उनकी वार्षिक सकल आय वित्तीय वर्ष में कृषि, वेतन, व्यवसाय आदि जैसे सभी स्रोतों से 8 लाख रुपये से कम है। परियोजना के कुल लाभार्थियों में से कम से कम 50-70% ईडब्ल्यूएस समुदाय के होने चाहिए। आय और संपत्ति संबंधी विस्तृत मानदंड https://dopt.gov.in/sites/default/files/ewsf28fT.PDF पर उपलब्ध है।

सुनील योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों {जैसे छोटे भूमि धारक किसान, पारंपरिक कारीगर (जैसे लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि), असंगठित क्षेत्र के लिए काम करने वाले भूमिहीन मजदूर और समष्टि (ट्रांसजेंडर और कैदियों सहित)} की जरूरतों को पूरा करने हेतु कई क्षेत्र-परीक्षित मॉडलों और स्थान-विशिष्ट तकनीकों के परिनियोजन तक सीमित नहीं है। यह उनके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान, कौशल वृद्धि, क्षमता वर्धन और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार को भी प्रोत्साहित करता है। आह्वान निम्नलिखित तीन पहलुओं के संबंध में आमंत्रित है-

1. सामाजिक आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी साधन **(टीआईएएसएन)**
   - निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार के लिए स्थानीय और सर्वांगीण जरूरतों की पहचान करने और वैज्ञानिक और आवश्यकता-आधारित नवीन तकनीकों के विकास करने पर अनुसंधान-
     - हरित अवसंरचना और दूरस्थ बसावटों से संबद्धता;
     - गैर-जैव अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनर्संसाधन;
     - कृषि अपशिष्ट से जैव-तेल;
     - वहनीय और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य और पोषण और स्वच्छता प्रबंधन प्रणाली;
     - फसल खूंटी प्रबंधन;
     - जलीय खेती प्रणाली;
     - कम कीमती शैक्षिक और मनोरंजन उपकरण;
     - पारंपरिक कारीगरों के नीरस कार्य में कमी;
     - धूसर जल पुनर्चक्रण प्रणाली और अभिक्रियित जल उपयोग;
     - विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित इको-पर्यटन प्रबंधन;
     - जैविक रूप से एकीकृत कृषि प्रणाली (बीआईएफएस) और प्राचलन पद्धति;
     - स्थानीय नवाचारों को बाजार और वित्तीय सेवाओं से सहलग्नता;
   - स्थानीय रूप से उपयुक्त और आरंभिक परीक्षित प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण;

- स्थानीय नवाचार प्रणाली का अभिज्ञान और औपचारिक नवाचार प्रणाली से सहलग्नता;
- वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों से सृजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का कल्याण मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ प्रतिचित्रण;
- सामुदायिक स्तर पर एस एंड टी आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी अन्य सर्वांगीण अंतरालों का (जैसे अनुकूलन, प्रतिकृति, वैज्ञानिक सत्यापन, ब्रांडिंग, विपणन, और अग्रनयन आदि) अभिज्ञान और समाधान करना।

2. आजीविका प्रणाली दक्षता सुधारक प्रौद्योगिकी प्रदाय और उद्यम निर्माण मॉडल:

- केआई, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय को शामिल करते हुए भू-प्रयोगशाला-भू उपागम के माध्यम से आजीविका प्रणाली के सबसे कमजोर लिंक (अंतराल) को मजबूत करने हेतु उभरते और स्थानीय रूप से उपयुक्त एसटीआई उत्पाद/सेवा प्रदान करना;
- ईडब्ल्यूएस सोसाइटी के लिए सामाजिक उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय आजीविका प्रणाली के सबसे मजबूत लिंक का उपयोग करना।

3. समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), गैर सरकारी संगठनों, ज्ञान संस्थानों (केआई) और सामाजिक स्टार्ट-अप का क्षमता वर्धन:

- वैज्ञानिक और अनुसंधान समुदाय को सामाजिक विकास के मुद्दों, अनुवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), राष्ट्रीय प्राथमिकताओं (एनपी) और वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारियों (एसएसआर) पर ज्ञान प्रदान करना;
- सीबीओ और गैर-सरकारी संगठनों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता संवर्धनकारी जागरूकता सृजन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, गोलमेज चर्चाओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
- एस एंड टी सक्षम गैर सरकारी संगठनों की मानकीकरण प्रक्रिया पर सामूहिक विचार-विमर्श और राष्ट्रीय परामर्श;

नोट: योजना अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों को प्रोत्साहित करेगा। ज्ञान संस्थान और गैर सरकारी संगठन भागीदार से आधारभूत स्तर पर आवश्यकता मूल्यांकन और कार्यान्वयन योजना विभाग से अनुदान प्राप्ति हेतु संरूपित परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक घटक है।

परियोजना सहायता अवधि: प्रस्तावित गतिविधियों और व्युत्पादो के आधार पर परियोजना सहायता अवधि 3-5 वर्षों की अवधि की होगी।

परियोजना भागीदार: अन्य समुदाय आधारित संगठनों जैसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सामाजिक उद्यमियों, स्टार्ट-अप और समुदाय को शामिल करते हुए सहयोगशील एस एंड टी अनुसंधान और बेहतरकारी उपाय करने वाले एस एंड टी सक्षम गैर सरकारी संगठन और ज्ञान संस्थान।

पात्रता मानदंड:

उपर्युक्त भागीदारों को शामिल करते हुए समन्वित परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए प्रस्ताव का आवेदन करने से पहले, पीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सीड प्रभाग द्वारा मेजबान संस्थान (एचआई) को एक समय में सहायित अधिकतम दो कार्यशील परियोजनाओं को बनाए रखे । सीड प्रभाग द्वारा सहायित दो कार्यशील परियोजनाओं पर पहले से ही काम कर रहे संगठनों को इस प्रस्ताव आमंत्रण के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सुनील योजना के तहत परियोजना अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र टीमों में शामिल हैं:

केआई से प्रधान अन्वेषक (पीआई)/सह-पीआई-

- आईआईटी, एनआईटी, स्वायत्त निकाय/सहायता प्राप्त संस्थान और केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन अन्य शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, सामाजिक स्तर पर पर्याप्त अवसंरचना और परियोजना कार्यान्वयन अनुभव रखने वाली प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद्।
- **गैर-सरकारी संगठनों से प्रधान अन्वेषक (पीआई)/सह-पीआई-**
- गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/निजी संस्थानों, जिनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतःक्षेपों और प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का क्षेत्रीय स्तर का अनुभव है, को समुदाय को पंजीकरण उपरांत फील्ड स्तर के अनुप्रयोगों के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकी मॉडल प्रदान करना चाहिए। भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों की सहायता से एस एंड टी पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को विधिक स्थिति सहित अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 या धर्मार्थ या धार्मिक अधिनियम 1920 या तत्समान राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत न्यास के रूप में आना चाहिए।
- परियोजना प्रस्ताव अनुदान हेतु आवेदन करने से पहले, प्रत्येक एनजीओ के लिए नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल https://ngodarpan.gov.in पर पहले पंजीकरण करना और एनजीओ यूनिक आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है।
- हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित विवरण उपलब्ध हैं (कम से कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए): बैलेंस शीट, आय और व्यय विवरण, प्राप्तियां और भुगतान लेखा, इनके लिए अनुसूची, लेखा टिप्पणी नोट और वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट।
- गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी अभिदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण प्राप्ति का) प्रस्तुत करना चाहिए।

सीबीओ/सामुदायिक समूहों/एफपीओ/एसएचजी और सामाजिक उद्यमों की भागीदारी: परियोजना भागीदारों के इस समूह को प्रत्यक्ष वित्त पोषण को सहायित नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन्हें गैर-सरकारी संगठनों या केआई के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव में अपनी विशिष्ट भूमिका और बजटीय अपेक्षा का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होगा।

- सरकारी विभागों, निगमों और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों, नाबार्ड, एसएफएसी द्वारा प्रवर्तित और सहायित अथवा ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत और औपचारिक कार्य स्थान / कार्यालय, बैंक खाता और आधार विवरण आदि रखने वाले एफ पी ओ ।
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), नाबार्ड द्वारा पंजीकृत या स्वयं सहायता समूह के नाम पर बचत बैंक खाता रखने वाले स्वयं सहायता समूह।
- निजी और राज्य प्रायोजित उद्भवकों सहित सामाजिक स्टार्ट-अप और उद्यमी जो त्वरित तकनीकी और नवोन्मेष विकास आदि की पेशकश करते हों।

नोट: केवल एक प्रधान अन्वेषक (पीआई)/परियोजना समन्वयक/वरिष्ठ योजना अधिकारी और गैर सरकारी संगठन और/अथवा केआई के एक सह-पीआई को किसी परियोजना के लिए अनुमति दी जाएगी और वे किसी विशेष समय में सीड प्रभाग, डीएसटी द्वारा सहायित केवल एक परियोजना से परिलब्धियां आहरित करने के पात्र होंगे। परियोजनार्थ अन्य मानव संसाधन**,** विशेषज्ञ समिति सदस्यों की सिफारिशों और परियोजना की आवश्यकता पर विनिश्चित किए जाएंगे। पदनाम कार्यक्रम अधिकारी/कार्यक्रम पेशेवर/परियोजना सहायक/परियोजना एसोसिएट/क्षेत्र सहायक/तकनीकी सहायक/क्षेत्रकर्मी/पर्यवेक्षक/कर्मी आदि हो सकते हैं।

वित्त पोषण स्वरूप, लघुसूचीयन और चयन मानदंड, कार्यक्रम का प्रचालन, निगरानी और मूल्यांकन संकेतक और परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र का विवरण "सुनील योजना के दिशानिर्देश" [https://dst.gov.in/sites/default/files/Guidelines-SUNIL-English.pdf] में उपलब्ध है।

पालन किए जाने वाले निर्देशों और अपेक्षित दस्तावेजों / संलग्नकों को परियोजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना है

- आवेदकों को योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, ई-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ई-पीएमएस पोर्टल) (https://onlinedst.gov.in/) (बेहतर परिणामों के लिए गूगल क्रोम या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में खोलें) के माध्यम से आवेदन करना होगा और संबंधित व्यक्तियों / अधिकारियों के हस्ताक्षर और रबर स्टैंप के साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करना होगा, जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रस्तावों को केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- डीएसटी किसी भी व्यक्तिगत कारणों, क्षेत्रीय त्योहारों, खराब नेटवर्क गति, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण पीआई द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सभी अपूर्ण आवेदनों को सीधा नामंजूर कर दिया जाएगा। हालांकि, अस्वीकार किए गए अभ्यर्थियों को अनुवर्ती चयन के चरणों में आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- **सहायता के लिए नए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना ई-पीएमएस पोर्टल (https://onlinedst.gov.in/) पर डाले गए प्रस्ताव संबंधी नए कॉल पर आधारित होगा।**

कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति प्रस्तुत करें:

- गैर सरकारी संगठन/ऐच्छिक संगठन/निजी संस्थान के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- संगम ज्ञापन, सोसायटी/न्यास/सेक्शन 8 कंपनी के नियम और उपनियम।
- गत 3 वित्तीय वर्षों के लिए संगठन की बैलेंस शीट, लेखा का विवरण और वार्षिक रिपोर्ट।
- परियोजना भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापन/परियोजना भागीदारों के मध्य सहमति
- साझेदार संस्थानों के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित सामान्य नियम की प्रति **(अनुलग्नक -II)**
- प्रधान अन्वेषकों(पीआई) का प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक-III)**
- पीआई और को-पीआई का जीवन-वृत्त **(अनुलग्नक -IV)**

- **सहायता के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने की दृष्टि से उसे प्रत्याशित समय बिंदु पर पहुंचने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने से न्यूनतम 9-12 महीने का समय लें। कृपया भविष्य के सभी पत्राचार में ई-पीएमएस पोर्टल से प्राप्त फ़ाइल नंबर / टीपीएन नंबर का उल्लेख करें**

उपरोक्त प्रस्ताव आह्वान संबंधी कोई भी प्रश्न/पत्राचार 011-26590618 पर किया जा सकता है अथवा निम्नलिखित पते पर मेल किया जा सकता है: -

डॉ. देबप्रिया दत्ता (प्रमुख और सलाहकार), ईमेल: ddutta@nic.in
डॉ अनुराधा पुघाट (वैज्ञानिक), ईमेल: anuradha.pughat@gov.in
समानता, सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान (सीड) प्रभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड
नई दिल्ली - 110 016

****

अनुलग्नक -I

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(आवेदक द्वारा भरे जाने के लिए)

भाग क

(कृपया केवल 3-4 पृष्ठों तक सीमित रखें)

संस्था संबंधी विवरण (केआई/एनजीओ)

1. **परियोजना शीर्षक**:
2. **परियोजना अवधि**:
3. **श्रेणी (किसी एक पर सही का चिह्न लगाएं)**:
   - **i.** सामाजिक आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी अन्तःक्षेप (टीआईएएसएन)**:**
   - ii. समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)**,** गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)**,** ज्ञान संस्थान (केआई) और सामाजिक स्टार्ट-अप का क्षमता वर्धन **:**
4. **प्रस्तावित उद्देश्य**:
5. **पीआई (एनजीओ / ज्ञान संस्थान से) का नाम, पता और संपर्क विवरण**:
6. **सह-पीआई (ज्ञान संस्थान/एनजीओ से) का नाम, पता और संपर्क विवरण**
7. **एनजीओ की पहचान**:
   - 7.1. संगठन का नाम
   - 7.2. पिन कोड सहित पता
   - 7.3. संपर्क व्यक्ति
   - 7.4. दूरभाष और फैक्स संख्या
   - 7.5. ई-मेल: वेबसाइट:
   - 7.6. पंजीकरण की प्रकृति: सोसायटी/न्यास
   - 7.7. पंजीकरण की तिथि
   - 7.8. एन जी ओ दर्पण आई डी
8. **के आई की पहचान**:
   - 8.1. संस्था का नाम
   - 8.2. पिन कोड सहित पता
   - 8.3. संपर्क व्यक्ति
   - 8.4. दूरभाष और फैक्स संख्या
   - 8.5. ई-मेल: वेबसाइट:
   - 8.6. पंजीकरण की प्रकृति: सोसायटी/न्यास

9. **प्रस्तावित कार्य क्षेत्र** (अर्थात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; पेयजल और स्वच्छता; शिक्षा; स्वास्थ्य और पोषण; सामाजिक सुरक्षा; स्थानीय परिवहन और विकास; बिजली और स्वच्छ ऊर्जा; मनोरंजन; एकीकृत खेती और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ; लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना; फोन और इंटरनेट सुविधाएं; आजीविका और कौशल विकास आदि):

10. **संस्था चार्ट, कार्य विवरण और अपने संगठन (एनजीओ और केआई दोनों के लिए) की विशेषज्ञता का विवरण दें ।**

11. **आज की तिथि तक संगठन में वैज्ञानिक जनशक्ति (केवल एनजीओ हेतु)**:

क्रम सं.	नाम और पदनाम	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	विशेषज्ञता	संगठन के साथ संबंध	कार्यग्रहण की तिथि	पूर्णकालिक / अंशकालिक कर्मचारी

12. गत पांच वर्षों के लिए व्यय का तरीका (केवल एनजीओ के लिए):

क्रम सं.	वित्तपोषण एजेंसी	राशि	वर्ष	प्रयोजन

13. सर्वोत्तम पद्धति (केवल एन जी ओ हेतु):

i. इंगित करें कि शासी निकाय की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है, सामान्य निकाय की बैठक कितनी बार होती है? (शासी निकाय और सामान्य निकाय की हाल की तीन औपचारिक बैठकों की तारीखें, स्थान और कुल संख्या में से भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या दें)

ii. शासी निकाय को प्रस्तुत और अनुमोदित तीन वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करें, यहां वर्षों को सूचीबद्ध करें (विशेषज्ञ टीम के दौरे के दौरान रिपोर्ट / विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाना चाहिए)।

iii. इंगित करें कि हाल ही में तीन वर्ष की अवधि में कितने व्यक्ति संगठन में शामिल हुए/छोड़कर गए।

iv. क्या आप औपचारिक रूप से अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करते हैं, कितनी बार मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन कौन करता है, क्या परिणाम को संबंधित सदस्य के साथ साझा किया जाता है।

v. आपके संस्था में नए प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें प्रतिधारित करने हेतु कौन से उपाय और प्रोत्साहन मौजूद हैं।

vi. क्या आप अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमत निर्धारित करते हैं और उनकी बिक्री करते हैं अथवा लाभार्थियों को नि:शुल्क प्रदान करते हैं?

vii. क्या आपके पास स्वयं का विपणन समूह है अथवा परामर्श सेवाओं तक अभिगम है?

viii. भविष्य में आपकी पहल को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और सतत बनाने हेतु क्या उपाय हैं - उस निधि का उल्लेख किया जा रहा है जिसकी मांग आपके द्वारा परियोजना मोड सहायता के रूप में की जा रही है।

ix. ऐसे दो आर एंड डी / एस एंड टी संस्थानों, संगठनों के नाम बताइए, जिनके साथ आपने कुछ सफल प्रौद्योगिकी संचालित पहलों में भागीदारी की; क्या औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, भागीदारों ने पहल में क्या योगदान दिया, कौन सा उत्पाद विकसित किया गया?

14. **विकसित और व्यावसायीकृत तीन सफल और सिद्ध प्रौद्योगिकी मॉडलों और संबंधित पैकेजों / उत्पादों, यदि कोई हो (अर्थात नई /उन्नत मशीन या उपकरण / जैव उत्पाद आदि), को सूचीबद्ध करें- एनजीओ और केआई दोनों हेतु**

विकसित और व्यावसायीकृत चार सफल और सिद्ध प्रौद्योगिकी मॉडल और संबंधित पैकेजों / उत्पादों को सूचीबद्ध करें				
विशिष्ट विवरण	**पैकेज/ उत्पाद** 1	**पैकेज/ उत्पाद** 2	**पैकेज/ उत्पाद** 3	**पैकेज/ उत्पाद** 4
1. विकास की अवधि (समय)				
2. अनुसंधान एवं विकास में निवेश (रुपये)				
3. वित्तपोषणकर्ता				
4. उत्पाद का प्रयोजन				
5. इच्छित उपयोगकर्ता				
6. बाजार प्रवर्तन की तिथि				
7. रियायत दर पर बेचा गया/ नहीं				
8. उत्पाद वितरित किया गया/ फ्रेंचाइज़ प्रदत्त				
9. शुरूआत के समय से उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि				
10. पेटेंट/ब्रांड किया गया (विवरण)				
11. विनिर्मित वस्तुएं				
12. आईपीआर से राजस्व				
13. संशोधन/स्तरोन्नयन हेत योजना				

भाग-ख

(कृपया केवल दो पृष्ठों तक सीमित रखें)

निधि का स्रोत और स्थायी सुविधाएं

1. कृपया निधिदातृ एजेंसियों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय), प्राप्त धनराशि और जिस प्रयोजन से उनका उपयोग हुआ, उसका पिछले दस वर्ष का विवरण नीचे दिए संरूप में दें **(एनजीओ और केआई दोनों के लिए)** । स्वीकृति पत्रों की प्रति प्रस्तुतीकरण/क्षेत्र भ्रमण के समय दिखनी होगी ।

क्र. सं.	**एजेंसी**	**राशि**	**वर्ष**	**प्रयोजन-परियोजना विवरण**
1. **2.**				

2. परियोजना क्षेत्र में सृजित स्थायी सुविधाओं (भूमि, उपकरण, भवन आदि) एवं परियोजना मोड सहायता में सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रस्ताव का विवरण । **(एनजीओ और केआई दोनों के लिए)**

क्र. सं.	**मद**	**सृजन/प्रापण का वर्ष**	**किस प्रयोजन से उपयोग किया गया**	**निधीयन स्रोत**
1.				

भाग-ग

(कृपया चार-पांच पेज तक ही सीमित रखें)

उपलब्धियों और प्रस्तावित कार्यकलापों का विवरण

1. कृपया निम्नलिखित के विवरण के साथ प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में एसएंडटी हस्तक्षेपों को उजागर करते हुए पिछले पांच वर्षों की अपनी गतिविधियों का संक्षेप में वर्णन करें:

क्र.सं.	**कार्यकलाप (एनजीओ और केआई दोनों के लिए)**	**संक्षिप्त विवरण (यथा संभव मात्रात्मक आंकड़ों सहित)**
1.	विकसित विशेषज्ञता (प्रशिक्षण, शुरू की गई परियोजनाएं आदि)	
2.	प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार/नवाचार	
3.	एस एंड टी आधारित राजस्व सृजन मॉडल विकसित किया गया	
4.	सहभागी उपगमन (समुदाय की भागीदारी)	
5.	प्रभाव के क्षेत्र (गाँव/ब्लॉक/जिला) आदि।	
6.	लाभार्थियों और स्थानीय संगठनों की भागीदारी	
7.	जिला और राज्य स्तरीय आयोजना में भागीदारी	
8.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन	
9.	प्रकाशन - प्रशिक्षण मैनुअल, पत्रिकाओं और जर्नल में अंशदान	
10.	संस्था में ग्रामीणों का परिदर्शन/आयोजित बैठक, यदि कोई हो	
11.	प्रौद्योगिकी से समाज को लाभ	
12.	प्रदान किया गया पेटेंट, यदि कोई हो	
13.	प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए पुरस्कार/सम्मान	
14.	तकनीकी बैक अप के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों/संसाधकों /अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के साथ सहलग्नता	

2. फील्ड इकाइयों/कार्यालयों के स्थान और पिछले पांच वर्षों में कार्यान्वित परियोजनाओं के स्थानों के बारे में विवरण के साथ भौगोलिक कवरेज (गांवों/ब्लॉकों और जिलों को शामिल किया गया)। लिंकेज को चार्ट के रूप में दिखाएं।

3. अब से अगले 5 वर्षों में आजीविका दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाय और उद्यम सृजन पर फोकस । प्रस्तावित परियोजना से अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन, यदि कोई हो।

4. परियोजना कार्यान्वयन के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यकता-आधारित परियोजना उद्देश्यों की सूची बनाएं यदि उन्हें सुनील योजना के तहत अनुमोदित किया जाता है: वर्ष-वार कार्य योजना, समय सीमा और व्युत्पाद का सारणीयन रूप

क्र. सं.	प्रस्तावित उद्देश्य **(सिर्फ 4-5)**	वर्ष	संभावित व्युत्पाद	सत्यापन के साधन **(संकेतक)**
1. **2.** **3.**				

5. कार्य योजना (अधिकतम 250 शब्द): वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों के अनुक्रम में कार्यप्रणाली को बताएं।

6. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को लाभान्वित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ज्ञान संस्थानों/सामाजिक उपक्रमों/अन्य स्वैच्छिक समूहों के साथ प्रस्तावित सहयोग।**

7. **प्रचार, संवर्धन और प्रसार योजना: (प्रचार, संवर्धन और प्रसार योजना का उल्लेख करें जो दर्शाती हों कि परियोजना की उपलब्धियों का उचित प्रचार कैसे किया जाएगा)**

8. **परियोजना के निष्पादन की प्रभावी निगरानी के लिए आउटपुट, परिणाम और प्रभाव संकेतकों का सुझाव दें (सुनील योजना के दिशानिर्देशों में तालिका 1 देखें)।**

परियोजना निष्पादन संकेतक (उद्देश्य-वार)		
आउटपुट के संकेतक	परिणाम के संकेतक	प्रभाव के संकेतक
•	•	

भाग-घ

(कृपया केवल 3 पृष्ठों तक सीमित रखें)

बजट विवरण

साझेदार एजेंसियों से प्रस्तावित बजट को ईडब्ल्यूएस आबादी के विशेष आकार और चुनिंदा समय अवधि में कवर किए जाने वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित उद्देश्यों और गतिविधियों को अमल में लाने वाली अपेक्षा के आधार पर यथार्थवादी होना चाहिए। **कृपया विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्येक मद के लिए संक्षिप्त औचित्य का उल्लेख करें।**

क. आवर्ती (सामान्य) बजट शीर्ष:

1. **जनशक्ति** (सामाजिक वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/तकनीकी सहायक कर्मचारियों की टीम में चार से अनधिक सदस्य

पदनाम	**मासिक**	**बजट (लाख रुपए में)**					
(व्यक्तियों की संख्या)	**मासिक परिलब्धि (रुपए)**	**वर्ष**					
		पहला	**दूसरा**	**तीसरा**	**चौथा**	**पाँचवाँ**	**औचित्य**
i.							
ii.							
कुल							

(केवल नेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जेआरएफ / एसआरएफ माना जाएगा)

2. **उपभोज्य सामग्री** (अनुकूली अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी परिष्करण और क्षेत्र परीक्षण आदि के लिए आपूर्ति/सामग्री)

विवरण	**बजट (लाख रुपए में)**					
	वर्ष					
	पहला	**दूसरा**	**तीसरा**	**चौथा**	**पाँचवाँ**	**औचित्य**
मदें						
i.						
ii.						
कुल						

3. **यात्रा**

मद	**बजट (लाख रुपए में)**					
	वर्ष					
	पहला	**दूसरा**	**तीसरा**	**चौथा**	**पाँचवाँ**	**औचित्य**
1. स्थानीय						
2. आउट स्टेशन						
कुल						

(अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है)

4. अनुकूली अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्र परीक्षण/प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रलेखन और प्रशिक्षण

मद	बजट (लाख रुपए में)					
	वर्ष					
	पहला	**दूसरा**	**तीसरा**	**चौथा**	**पाँचवाँ**	**औचित्य**
1. अनुकूली आर एंड डी						
2. क्षेत्र परीक्षण/प्रदर्शन						
3. प्रौद्योगिकी प्रसार						
4. दस्तावेज़ीकरण और प्रशिक्षण (विषय, उद्देश्य, प्रशिक्षण की संख्या/वर्ष, प्रशिक्षण दिनों की अवधि, भागीदारी का स्तर, लागत/प्रशिक्षण)						
कुल						

5. आकस्मिकता

मद	बजट (लाख रुपए में)					
	वर्ष					
	पहला	**दूसरा**	**तीसरा**	**चौथा**	**पाँचवाँ**	**औचित्य**
कुल						

6. संस्थागत उपरिव्यय

मद	बजट (लाख रुपए में)					
	वर्ष					
	पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पाँचवाँ	औचित्य
कुल						

ख. गैर-आवर्ती (पूंजीगत) बजट शीर्ष: (केवल आवश्यक स्थायी उपकरण और संरचना आदि के लिए लघु अनुदान) *:

उपकरण/ मद-विवरण	**अनुमानित लागत (रुपए)**	**औचित्य**
1.		
2.		
कुल		

***. यदि परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो उपकरणों के प्राक्कलन के समर्थन में बजटीय कोटेशन (न्यूनतम 3 संख्या) की अपेक्षा होगी। (यदि उपकरणों को प्रोटोटाइप परीक्षण आदि के लिए स्थानीय रूप से निर्मित किया जाना है, तो प्राक्कलन बताएं)। संस्थान प्रभार परिवहन, कर/ड्यूटी/लेवी आदि का उल्लेख करें । कृपया अपने संस्थान/संगठन पर लागू कर/शुल्क छूट का लाभ उठाने का प्रयास करें। इस मद के तहत प्रापित वस्तुओं का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। जीएफआर के नियम 149 के अनुसार, केवल जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और/या सेवाओं के लिए**

वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण अनिवार्य है और पीआई विभिन्न उप-शीर्षों के तहत व्यय करने के लिए व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा।

भाग-ड़

प्रस्ताव का सारांश

(कृपया केवल 2-3 पृष्ठों तक सीमित रखें)

1. परियोजना का शीर्षक:
2. परियोजना की अवधि:
3. प्रस्तावित उद्देश्य (सिर्फ 4-5):
4. पीआई का नाम, पता और संपर्क विवरण (एनजीओ / केआई से):
5. सह-पीआई का नाम, पता और संपर्क विवरण (केआई/एनजीओ से):
6. एनजीओ/वीओ/निजी संस्थान के रूप में पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख:
7. एनजीओ/वीओ/निजी संस्थान की एनजीओ दर्पण आईडी
8. परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत होने पर स्वीकृति जारी करने के लिए दोनों संस्थाओं के प्राधिकृत पदाधिकारी का विस्तृत मेल पता एवं दूरभाष संख्या :
9. प्रस्तावित कार्य का क्षेत्र (अर्थात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; पेयजल और स्वच्छता; शिक्षा; स्वास्थ्य और पोषण; सामाजिक सुरक्षा; स्थानीय परिवहन और विकास; बिजली और स्वच्छ ऊर्जा; मनोरंजन; एकीकृत-खेती और सर्वोत्तम प्रचालन पद्धति; लोगों को वित्तीय सेवाओं फोन और इंटरनेट सुविधा से जोड़ना; आजीविका और कौशल विकास आदि):
10. प्रस्तावित परियोजना के लिए समस्या की पहचान और निर्देश रेखा अध्ययन:
11. सहयोगी भागीदारों (एनजीओ/केआई/सोशल वेंचर्स/सीबीओ/एसएचजी/एफपीओ आदि) का विवरण: प्रस्ताव पर प्रस्तुति के समय एमओयू/साझेदारी प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
12. परियोजना के कार्यान्वयन में भागीदार संस्था /एजेंसी/समूह की भूमिका:
13. प्रस्तावित परियोजना का भौगोलिक कवरेज क्षेत्र (गाँव/ब्लॉक/जिला)
14. परियोजना सहायता के लिए अपेक्षित वर्षवार अनुमानित बजट:

बजट अनुमान : सार

(लाख रुपए में)

	मद	बजट					
		पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पाँचवाँ	कुल
क.	आवर्ती						
	1. जनशक्ति						
	2. उपभोज्य वस्तुएं						
	3. यात्रा						
	4. अनुकूली अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्र परीक्षण/प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रलेखन और प्रशिक्षण आदि।						
	5. आकस्मिक व्यय/अन्य लागत						
	6. संस्थागत उपरि-व्यय						
ख.	गैर-आवर्ती						
	उपकरण/मद						
	स्थायी उपकरण मद						
	कुलयोग (क+ख)						

अनुलग्नक-II

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

समानता, सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान (सीड) प्रभाग

सुनील योजना के तहत परियोजना सहायता के लिए चुने गए संगठनों के लिए नियम

1. आजीविका नवाचार का सुदृढ़ीकरण, अग्रनयन और पोषण (सुनील) योजना निम्नलिखित तीन बिंदुओं का पालन करेगा:
   - **प्रौद्योगिकी वितरण और उद्यम निर्माण मॉडल**: आजीविका प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए उभरते और स्थानीय रूप से उपयुक्त एसटीआई उत्पाद प्रदान करने के लिए भूमि-लैब-भूमि उपगमन और ईडब्ल्यूएस सोसाइटी के सामाजिक उद्यमिता विकास हेतु स्थानीय आजीविका प्रणाली के सबसे मजबूत लिंक का उपयोग करना।
   - **स्थानीय और सर्वांगीण उत्पाद पहचान अनुसंधान:** इसके अंतर्गत स्थानीय समस्याओं के समाधान, आजीविका प्रणाली की ताकत और दुर्बलता की पहचान करने के लिए अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित गैर सरकारी संगठनों का सुनिश्चयन, प्रारंभ में परीक्षित स्थानीय रूप से उपयुक्त तकनीकों का मानकीकरण, स्थानीय नवाचार प्रणाली की पहचान, ज्ञान तंत्र और सामुदायिक स्तर पर विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य सर्वांगी अंतरालों के साथ कल्याण तंत्र का अनुकूलन शामिल हैं।
   - **सीबीओ, एनजीओ और केआई का क्षमता वर्धन:** सीबीओ, एनजीओ की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जागरूकता निर्माण, कार्यशालाएं, गोलमेज चर्चाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनियां, कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं (पोस्टडॉक, पीएचडी और एमटेक छात्रों) के सामाजिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में समर्थ गैर सरकारी संगठनों का मानकीकरण।

2. परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत जनशक्ति के पास प्रत्येक पद के लिए संबंधित योग्यताएं और अनुभव/विशेषज्ञता होनी चाहिए जो प्रस्तावित कार्यकलापों में तीन/पांच वर्षों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। **प्रधान अन्वेषक (पीआई)/वरिष्ठ योजना अधिकारी (एसपीओ)** के पास अभियांत्रिकी/विज्ञान/चिकित्सा/फार्मा में पीएचडी या अभियांत्रिकी/ विज्ञान/चिकित्सा/फार्मा में स्नातकोत्तर के साथ प्रौद्योगिकी विकास और सामाजिक अनुप्रयोग की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रदाय/ क्रियान्वयन में न्यूनतम 5 वर्ष का फील्ड अनुभव होना चाहिए। **प्रोग्राम ऑफिसर (पीओ)** पद हेतु अभियांत्रिकी/विज्ञान/चिकित्सा/फार्मा में पीएचडी या अभियांत्रिकी/चिकित्सा/फार्मा में स्नातकोत्तर या अभियांत्रिकी/चिकित्सा/फार्मा में स्नातक और साइंस में स्नातकोत्तर पदवी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक परियोजनाओं की व्यवस्था में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **कार्यक्रम पेशेवर (पीपी)** के लिए विज्ञान में स्नातकोत्तर पदवी या अभियांत्रिकी/चिकित्सा में स्नातक, या विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/ग्रामीण प्रबंधन/आईसीटी में स्नातक पदवी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में न्यूनतम *5* वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जबकि, **तकनीकी सहायक / पर्यवेक्षक / निर्माण विशेषज्ञ / फील्ड सहायक / पर्यवेक्षक** पद हेतु विज्ञान/सामाजिक विज्ञान में स्नातक या किसी भी विषय में डिप्लोमा धारक के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

3. परियोजना जनशक्ति में कम से कम 50% नए युवा कार्मिक होने चाहिए जो दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक हों। संस्था को प्रोत्साहन आदि के साथ ऐसा उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि कम से कम 3-4 वर्षों के लिए जनशक्ति को बनाए रखकर पोषित किया जा सके । इससे समय पर प्रत्याशित परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी। महिला उम्मीदवारों की भर्ती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. परियोजना जनशक्ति संस्थान के नियमों और विनियमन के अनुसार परियोजना मोड में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगी, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) के कर्मचारी के रूप में और इनका उपयोग आउटपुट, परिणाम और प्रभाव के संदर्भ में सुनील (SUNIL) योजना के डेटा संग्रहण और विश्लेषण के समन्वय में भी किया जा सकता है। उक्त कर्मचारी अन्य परियोजनाओं से वेतन नहीं लेंगे, लेकिन विशिष्ट गतिविधियों के लिए मानदेय प्राप्त कर सकते हैं। नवोन्मेषी उद्भावनाओं और क्रियाकलापों की संकल्पना करने और दृष्टिगत करने वाली सहायता का उपयोग किया जा सकता है।

5. परियोजना कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अवसंरचना और सहायता सेवा प्रदान करना संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रत्येक संस्था को बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और अन्य प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए केवीके (केवीके), संबंधित प्रभाव क्षेत्र में छोटे वीओ (वीओ) के साथ नेटवर्किंग को भी मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, परियोजना कर्मी इन भागीदार वीओ (वीओ) के क्षमता वर्धन को उत्प्रेरित करेंगे और बढ़ावा देंगे।

6. परियोजना की निरंतरता और वित्तीय सहायता समय-समय पर विशेषज्ञ टीम द्वारा परियोजना में हुई प्रगति और किए गए मूल्यांकन पर निर्भर करेगी। कार्य निष्पादन न करने पर परियोजना अनुदान रुक सकता है / अतिरिक्त परियोजना सहायता के लिए निरर्ह घोषित किया जा सकता है।

7. योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है।
8. परियोजना अनुदान प्राप्त होने के बाद, भर्ती किए गए कर्मचारियों के हस्ताक्षरित बायोडाटा और कार्यग्रहण संबंधी विवरण की सूचना तीन महीने के अंदर सीड प्रभाग, डीएसटी को दी जानी चाहिए।
9. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समय-सीमा के अनुसार लेखा परीक्षित व्यय विवरण (एसई) और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।
10. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि और प्रोदभूत ब्याज को भी एसई और यूसी में अंकित किया जाना चाहिए और अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत करने के लिए अनुमति मांगी जा सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रोदभूत ब्याज को भारत की संचित निधि-भारत कोष में जमा किया जाना चाहिए और विवरण का उल्लेख यूसी एवं एसई में किया जाना चाहिए।
11. परियोजना सहायता से सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों/सुविधाओं का उपयोग कार्यान्वयन अवधि के दौरान और परियोजना सहायता के पूरा होने के बाद भी अभीष्ट लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा। जीएफआर-2017 के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
12. परियोजना टीम के किसी भी सदस्य के संस्था छोड़ने पर अविलंब और प्रतिस्थापन की सूचना डीएसटी (सीड प्रभाग) को रिक्ति के 3 महीने के भीतर दी जानी चाहिए।
13. सभी उपकरण और अन्य क्षेत्र परिसंपत्तियां, बैनर, बोर्ड, मैनुअल, रिपोर्ट आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली' के 'समानता, सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान (सीड) प्रभाग के सुनील योजना के तहत 'उत्प्रेरित' और 'सहायित' का श्रेय पाएंगे।
14. डीएसटी किसी भी समय परियोजना सहायता की लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होगा और परियोजना टीम इस तरह के ऑडिट या निरीक्षण को सुकर बनाएगी ।
15. संस्था के कार्य निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए डीएसटी के अधिकारी को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें परियोजना गतिविधियों से संबंधित प्रगति और व्यय विवरण पर चर्चा की जाएगी। डीएसटी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त अधिकारी नामित करेगा।
16. डीएसटी को अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के बारे में सूचित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं का लेखा-जोखा अलग से रखा जाना चाहिए।
17. प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि को विषय वस्तु, प्रशिक्षण की सामग्री, प्रशिक्षकों के नामों और प्रतिभागियों के नामों और उनके पते, स्थान और प्रशिक्षण की तारीख के साथ ठीक से प्रलेखित किया जाना चाहिए।
18. परियोजना टीम के प्रत्येक सदस्य को दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा किए गए कार्यों को अभिलिखित कर रही लॉग बुक रखनी चाहिए।
19. परियोजना सहायता समूह द्वारा शुरू की गई गतिविधियों अनुवर्तित की जा रही उद्भावना, उद्भावना प्रक्रमणार्थ उपगत व्यय, शामिल व्यक्ति प्रस्तावित उपस्कर का उचित प्रलेखन बनाए रखा जाना चाहिए।
20. समाज/लाभार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लाभों को कहानी और वीडियो के रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए।
21. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी / संगठन किसी भी वित्तीय और कानूनी प्रशासनिक जिम्मेदारी और एजेंसी / संगठन और परियोजना कर्मचारियों के बीच विवाद के मामले में जिम्मेदार होगा। विवादों के ऐसे कानूनी मामलों के लिए डीएसटी उत्तरदायी नहीं होगा।

हम उपरोक्त नियमों से सहमत हैं।

दिनांक: ( )
स्थान: हस्ताक्षर के साथ मुहर
संस्था प्रमुख **1**

दिनांक: ( )
स्थान: हस्ताक्षर के साथ मुहर
संस्था प्रमुख **2**

दिनांक: ( )
स्थान: हस्ताक्षर के साथ मुहर
संस्था प्रमुख **3**

* **सभी भागीदार संस्था / एजेंसियों के हस्ताक्षर**

पीआई और को-पीआई के प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है
2. हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित अनुदान नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
3. प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान के नियमों के अनुसार उपकरण, अन्य प्राथमिक सुविधाएं और ऐसी अन्य प्रशासनिक सुविधाएं, सम्पूर्ण सहायता अवधि के दौरान परियोजना टीम को उपलब्ध कराई जाएंगी।
4. पीआई और को-पीआई परियोजना कार्यान्वयन की वित्तीय और अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का आश्वासन देते है।
5. सीड प्रभाग, डीएसटी के सुनील योजना के तहत सहायता का आभार भविष्य के सभी आंतरिक या बाहरी प्रकाशनों / रिपोर्टों / प्रस्तुतियों आदि में माना जाएगा और आईपीआर दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
6. अनुदान प्राप्तिकर्ता संस्था की परियोजना टीम डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किसी भी समय परियोजना की लेखा परीक्षा या निरीक्षण करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।
7. सहभागी एजेंसियां "सुनील योजना के तहत परियोजना सहायता के नियमों का पालन करेंगी।
8. यह प्रमाणित किया जाता है कि संस्था को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कभी भी वर्ज्य सूची में नहीं डाला गया है।
9. हमने किसी अन्य एजेंसी/विभाग को इस तरह की सहायता के लिए आवेदन नहीं किया है।

दिनांक: ( )
स्थान: **हस्ताक्षर**
प्रधान अन्वेषक

दिनांक: ( )
स्थान: **हस्ताक्षर**
सह-प्रधान अन्वेषक

दिनांक: ( )
स्थान: **हस्ताक्षर**
सह-प्रधान अन्वेषक

* **पीआई और सह-पीआई के हस्ताक्षर**

पीआई और को-पीआई का जीवन-वृत्त

(क) प्रधान अन्वेषक

नाम, पदनाम, विभाग: संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम और पता: जन्मतिथि: सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि: लिंग (महिला/पुरुष): वर्ग (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी): दूरभाष(कार्यालय), दूरभाष (घर) और फैक्स: मोबाइल: ईमेल:

शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक से आगे):

उपाधि	वर्ष	विश्वविद्यालय/ संस्थान	विशेषज्ञता क्षेत्र

अनुभव का क्षेत्र (कीवर्ड)

प्रकाशित पत्रों की संख्या

महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10)

नाम	लेखक	पत्रिका	अंक	पृष्ठ	वर्ष	एससीआई सूचकांक

पिछले पांच वर्षों के प्रस्तावित क्षेत्र मे संबंधित प्रकाशनों की सूची

(ख) सह-प्रधान अन्वेषक

नाम, पदनाम, विभाग:
संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम और पता:
जन्मतिथि:
सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि:
लिंग (महिला/पुरुष):
वर्ग (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी):
दूरभाष(कार्यालय), दूरभाष (घर) और फैक्स:
मोबाइल:
ईमेल:

शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक से आगे):

उपाधि	वर्ष	विश्वविद्यालय/ संस्थान	विशेषज्ञता क्षेत्र

अनुभव का क्षेत्र (कीवर्ड)

प्रकाशित पत्रों की संख्या

महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10)

नाम	लेखक	पत्रिका	अंक	पृष्ठ	वर्ष	एससीआई सूचकांक

पिछले पांच वर्षों के प्रस्तावित क्षेत्र में संबंधित प्रकाशनों की सूची

(ग) अन्य सह-अन्वेषक *

*आप अपनी अपेक्षा के अनुसार अतिरिक्त सह-अन्वेषक जोड़ सकते हैं जैसे (क), (बी), (ग), (घ), (ड.), (च) ...